



विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी

 drishtiiias.com/hindi/printpdf/world-anti-doping-agency

प्रीलिम्स के लिये:

विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी

मेन्स के लिये:

विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के कार्य तथा रूस के संबंध में उठाए गए कदम

चर्चा में क्यों?

विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (World Anti-Doping Agency- WADA) ने वर्ष 2020 के टोक्यो ओलंपिक सहित अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में रूस पर चार वर्ष का प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया है।

प्रमुख बिंदु

- पिछले कुछ वर्षों से रूस पर एक परिष्कृत डोपिंग कार्यक्रम चलाने का आरोप लगाया जा रहा है।
- अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) ने दक्षिण कोरिया के प्योंगचांग में वर्ष 2018 के शीतकालीन ओलंपिक में रूस की भागीदारी पर प्रतिबंध लगा दिया था।
- रूसी ओलंपिक समिति को निलंबित कर दिया गया था और इस कार्यक्रम में भाग लेने से रोक लगा दी थी। केवल कुछ रूसी एथलीटों को सख्त शर्तों के तहत प्रदर्शन करने की अनुमति दी गई थी।

जाँच प्रक्रिया

वर्ष 2014 से लगातार लग रहे आरोपों के बाद, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (**International Olympic Committee- IOC**), **WADA** और अन्य वैश्विक महासंघों ने जाँच शुरू की।

- मास्को लैब के कामकाज पर नज़र रखने के लिये कनाडा के वकील रिचर्ड मैकलारेन के नेतृत्व में WADA ने एक स्वतंत्र जाँच शुरू की।
- IOC ने निम्न दो संदर्भों में जाँच की:
 - सोची गेम्स (Sochi Games) में नमूनों के हेरफेर के साक्ष्य की जाँच।
 - दूसरा रूसी राज्य की भागीदारी का पता लगाना।

- IOC आयोग ने दर्जनों रूसी एथलीटों को खेलों में डोपिंग रोधी नियम के उल्लंघन का दोषी पाया।
- इसे वर्ष 1999 में एक अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया था, यह खेल आंदोलन और विश्व की सरकारों द्वारा समान रूप से वित्त पोषित है।
- इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल, कनाडा में है।
- इसकी प्रमुख गतिविधियों में वैज्ञानिक अनुसंधान, शिक्षा, एंटी-डोपिंग क्षमताओं का विकास करना और विश्व एंटी-डोपिंग संहिता (कोड) की निगरानी करना शामिल है। विश्व एंटी-डोपिंग संहिता (कोड) सभी खेलों एवं देशों में डोपिंग विरोधी नीतियों का सामंजस्य स्थापित करने वाला दस्तावेज है।
- ईमानदारी, जवाबदेही और उत्कृष्टता एजेंसी के मुख्य मूल्य हैं।

अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति

International Olympic Committee

- यह एक गैर-लाभकारी स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो खेल के माध्यम से एक बेहतर दुनिया के निर्माण के लिये प्रतिबद्ध है।
- इसका गठन 23 जून, 1894 को किया गया था और यह ओलंपिक आंदोलन का सर्वोच्च अधिकार है।
- यह ओलंपिक खेलों के नियमित आयोजन को सुनिश्चित करता है, सभी संबद्ध सदस्य संगठनों का समर्थन करता है और उचित तरीकों से ओलंपिक मूल्यों को बढ़ावा देता है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस
